



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234568
CG-DL-E-28032022-234568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

No. 1358]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1400(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 130 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन स्कीम का नाम आय-कर प्राधिकारियों की पहचानविहीन अधिकारिता स्कीम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) “स्वचालित आबंटन” से उपयुक्त प्रौद्योगिकीय साधनों के उपयोग द्वारा मामलों के यादृच्छिकताकृत आबंटन के लिए संसाधनों के, जिसके अंतर्गत कृत्रिम आसूचना और मशीन लर्निंग भी है, अधिकाधिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए कोई विधि-विशेष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. आय-कर प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन, परिधि और शक्तियां — इस स्कीम के प्रयोजन के लिए,—

(क) धारा 120 में यथा निर्दिष्ट, अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसे आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त यथास्थिति, ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए; या

(ख) धारा 124 में यथा निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी में निहित की गई अधिकारिता के अनुसार तथा निम्नलिखित उपबंधित विस्तार तक स्वचालित आबंटन के माध्यम से किसी पहचानविहीन रीति में होगी, —

(i) अधिनियम की धारा 144ख के संदर्भ में निर्धारिती की कुल आय या हानि का पहचानविहीन निर्धारण करने हेतु;

(ii) अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6ख) और उपधारा (6ग) के अधीन अधिसूचित पहचानविहीन अपील स्कीम, 2021 में अपीलों के निपटान के संदर्भ में;

(iii) अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के अधीन अधिसूचित पहचानविहीन शास्ति स्कीम, 2021 में अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संदर्भ में;

(iv) अधिनियम की धारा 135क के अधीन अधिसूचित ई-सत्यापन स्कीम, 2021 में धारा 133 के अधीन जानकारी मांगने, धारा 133ख के अधीन कतिपय जानकारी इकट्ठा करने, या धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जानकारी मांगने, या धारा 134 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करने, या धारा 135 के अधीन निर्धारण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के संदर्भ में;

(v) अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (11) और उपधारा (12) के अधीन ई-समझौता स्कीम में अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के समझौता कराने के संदर्भ में;

(vi) अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (9) और उपधारा (10) के अधीन अधिसूचित ई-अग्रिम नियम स्कीम, 2021 में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग या व्यक्तियों के लिए विवाद समाधान के संदर्भ में जो विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के विनिर्दिष्ट आदेश में किसी फेर-फार से उद्भूत, अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन विवाद समाधान के विकल्प का चयन कर सकें।